


नम्बर य त
अहकान ज
हुक्म की त
ने जारी

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज


5-6-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 23-6-23 को पेश हो ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

24/6/23

पजावली महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैंप ग्राम पंचायत मैजा मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा 0 पत्र किये गये । प्रार्थीगण का प्राणपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हृथक से लिखा जाकर शामिल पजावली किया गया । पजावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।


हुक्मीचन्द्र रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

द्वितीय उपखण्ड अधिकारी - हुकमीचन्द रोहलानिया, आर ए एस

दुकान संख्या - 120/23 प्रखण्ड

श्री कन्हैयालाल जाली चम्पालाल तलाई निवासी गाण्डल तहसील गाण्डल (कॉपा)

-प्रार्थी

बनाम

श्री भीवाल जाली अगना जाट निवासी गाण्डल तहसील गाण्डल (कॉपा)

(सिद्धांकित प्रा.व्यग.शलेखन)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक - 24.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाण्डल पटवार हल्का गाण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 4532 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2782 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुलदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अदालतकार्यार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैरो भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाण्डल पटवार हल्का गाण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 4532 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2782 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गाण्डल को 500/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में नौके व कब्जे की संधारिधति को धनाये रखते हुए मुस्तकील दिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जाये।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा शशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023